



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

20.1.17

क्रमांक एफ.4(78) परावि/पीसी/ एमआईएस/ 157 जयपुर, दिनांक 18.01.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद् समस्त

विषय:- इंटीग्रेटेड ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं खण्ड स्तर पर टास्क फोर्स गठन बाबत।

महोदय,
बजट घोषणा 2016-17 की क्रियान्विति के क्रम में विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से इंटीग्रेटेड ई-पंचायत सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाया गया है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित सभी विकास योजनाओं के कार्यों का संपादन, राशि भुगतान, यूसीसीसी समायोजन, निरीक्षण एवं मॉनेटरिंग सुनिश्चित किया जावेगा। इंटीग्रेटेड ई-पंचायत सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है एवं जनवरी 2016 के अंत तक इसे प्रभावी रूप से लागू करने की कार्यवाही की जायेगी। इस सॉफ्टवेयर के प्रभावी संचालन हेतु जिला एवं खण्ड स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन निम्न प्रकार किया जाये:-

जिला स्तरीय टास्क फोर्स	<ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी -अध्यक्ष 2. अधिशाषी अभियंता--सदस्य 3. व0 लेखाधिकारी अथवा लेखाधिकारी 4. एसीपी (उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) 5. एपीएम, डीपीएम 6. एम.आई.एस. मैनेजर, महात्मा गांधी नरेगा योजना
खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स	<ol style="list-style-type: none"> 1. विकास अधिकारी-अध्यक्ष 2. सहायक अभियंता अथवा क0 अभियंता 3. प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग 4. लेखाकार 5. एम.आई.एस. मैनेजर, महात्मा गांधी नरेगा योजना

उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय टास्क फोर्स के गठन (सदस्य का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर) आदेश जारी करते हुए आदेश की एक प्रति दिनांक 18.1.2017 तक विभागीय ई-मेल rajpr.sep@rajasthan. Gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करावे। खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति द्वारा किया जा सकेगा। इस कृपया इसे सर्वाच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
2. एसीपी, पंचायती राज,
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त

अधीक्षण अभियन्ता